न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

अपील संख्या 18/2018 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

रूपसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह जाति जाट निवासी बौरई तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर जिला भरतपुर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध तहसीलदार कुम्हेर दिनांक 16.1.2018 प्रकरण संख्या 54/2017 (91 एल आर एक्ट) सरकार बनाम रूपसिंह

उपस्थित :
1. श्री प्रमोद कुमार उपमन वकील अपीलान्ट।
2. पेरोकार सरकार

दिनांक – 7.3.2018

निर्णय

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार कुम्हेर की आज्ञा दिनांक 16.1.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 77/0.65 है0 किस्म चारागाह में से 0.12 है0 वाकै ग्राम बौरई तहसील कुम्हेर पर अपीलान्ट द्वारा गेहूं बोकर अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण सिद्ध होने पर तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.1.2018 पारित किया गया। जिसके तहत अतिक्रमी/अपीलान्ट को बेदखल करते हुये फसल आदि को कुर्क कर नीलाम करने लगान 2.64 का पचास गुणा पैनल्टी राशि 132/– रूपये से दण्डित किया गया है। साथ ही पश्चातवर्ती अतिचारी होने के कारण 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित किया गया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि अपीलान्ट उक्त आराजी चारागाह पर कोई अतिक्रमण नहीं है। पटवारी द्वारा बिना किसी आधार के गलत रिपोर्ट तहत अदालत में प्रस्तुत की है। इसके अलावा अपीलान्ट को तहत अदालत ने जबाब पेश करने व सुनवाई का समुचित अवसर भी नहीं दिया है एकतरफा में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्यान्तों के विपरीत भी है। तहत अदालत ने यह गौर नहीं किया कि कारावास की सजा से पूर्व वेदखली की कार्यवाही की जानी होती है और उस बेदखली के आदेश की प्रमाणित प्रति पत्रावली में उपलब्ध होने पर ही सजा की कार्यवाही की जा सकती है परन्तु तहसीलदार कुम्हेर द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया और बिना कोई आधार एवं कानूनी प्रक्रिया अपनाये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है । तहत पत्रावली में ऐसा कोई

Web Copy Not Official

तथ्य नहीं है जिससे अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना जा सके। दौराने सुनवाई अपीलान्ट रूपसिंह स्वयं की ओर से एक शपथपत्र जरिये वकील प्रस्तुत कर अदालत हाजा के समक्ष यह भी स्पष्ट किया है कि............ **''विचाराधीन आराजी से शपथकर्ता द्वारा अपना कब्जा हटा लिया है कार्यवाही ड्रॉप की जावे''**....................अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.1.2018 निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार कुम्हेर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.1.2018 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी इस आराजी पर अतिक्रमण किया गया था । पटवारी हल्का बाबैन की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्यायसंगत है । अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.1.2018 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। मौजूदा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से खसरा नम्बर 77/0.65 हैक्टेयर किस्म चारागाह में से 0.12 हैक्टेयर वाकै ग्राम बौरई तहसील कुम्हेर पर अपीलान्ट रूपसिंह द्वारा गेहूं बोकर अतिक्रमण किया जाना सिद्ध होता है। उक्त अतिक्रमण का सिद्ध होना स्वयं अपीलान्ट रूपसिंह के द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 7.3.2018 से भी स्पष्ट होता है। शपथ–पत्र के अनुसार अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया है। पश्चातवर्ती अतिक्रमण के संबध में यह सुनिश्चित है कि विगत वर्षों में मौके से वेदखली होने पर ही इस वर्ष पश्चातवर्ती अतिक्रमण कहलायेगा। जिसे साबित करने में पैरोकार सरकार असफल रहे है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश को केवल सजा की हद तक निरस्त किया जाना उचित रहता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट सशर्त–आंशिक स्वीकार की जाकर इस निर्देश के साथ तहसीलदार कुम्हेर को प्रतिप्रेषित की जाती है कि बाद जांच यदि मौके पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया हो तो ही अपीलाधीन आदेश 16. 1.2018 केवल सजा की हद तक निरस्त रहेगा, अन्यथा अपीलाधीन आदेश यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 7.3.2018 को सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर